



AHC:127055:2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18716 वर्ष 2026

सुमित कुमार श्रीवास्तव

आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य

विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : राम प्रकाश सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के लिए अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस क्राइम नंबर 20/2026 धारा 331(4), 324(5), 318(4), 61(2), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन पंकी, जिला कानपुर नगर के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक 29.01.2026 से न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, उसका नाम सह-अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला के बयान से ही सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त सुशील कुमार शुक्ला को इस न्यायालय की

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 07.05.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14569/2026 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास आवेदन के पैरा 11 में स्पष्ट किया गया है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत का मामला सिद्ध किया है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

6. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक - **सुमित कुमार श्रीवास्तव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. (अनुरूप धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा: (1) मामले की सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप की विरचना और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (संबंधित धारा 351 बीएनएसएस) के तहत बयान दर्ज होने पर। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

ए.एन. मिश्रा

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।